भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2764
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

+2764. श्री विनायक भाऊराव राऊत :

श्री बंदी संजय कुमार :

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी :

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद रिक्त है ;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से खाली पड़े हैं और इसके क्या कारण है ;

(ग) सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है ; और

(घ) क्या पात्र उम्मीदवारों को उनके संबंधित राज्यों के अनुसार वरीयता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्या ायसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : तारीख 01.03.2020 तक, तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 24 स्वीकृत पदों की तुलना में न्यायाधीशों के 11 पद रिक्त हैं और बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 94 स्वीकृत पदों की तुलना में न्यायाधीशों के 23 पद रिक्त हैं ।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, रिक्तियों के होने से छः माह पूर्व बार और संबंधित राज्य न्यायिक सेवा से अर्हित अभ्यर्थियों में से दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति द्वारा प्रस्तावों का आरंभ किया जाना अपेक्षित है ।

रिक्तअ पदों का भरा जाना कार्यपालिका और न्याायपालिका के मध्यप एक सतत् , एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तर पर विभिन्नत सांविधानिक

प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। अतः न्यांयाधीशों के रिक्तं पदों को भरे जाने के लिए समय सीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरे जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है , लेकिन रिक्तिययां, न्याशयाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्या गपत्र या उन्नकयन के कारण और न्याियधीशों की पद संख्यान में वृद्धि के कारण उद्भूत होती रहती हैं ।

****